GOVERNMENT BILLS

- (i) The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2021 and
- (ii) The Surrogacy (Regulation) Bill, 2020

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are taking up the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2021 and the Surrogacy (Regulation) Bill, 2020. Both of these Bills will be discussed together. Hon. Minister, Dr. Mansukh Mandaviya, to move the motions for the consideration of both these Bills. ... (Interruptions)... Dr. Mansukh Mandaviya, please move the motions.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. MANSUKH MANDAVIYA): Sir, I rise to move:

"That the Bill for the regulation and supervision of the assisted reproductive technology clinics and the assisted reproductive technology banks, prevention of misuse, safe and ethical practice of assisted reproductive technology services for addressing the issues of reproductive health where assisted reproductive technology is required for becoming a parent or for freezing gametes, embryos, embryonic tissues for further use due to infertility, disease or social or medical concerns and for regulation and supervision of research and development and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

... (Interruptions)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिल्स हैं। ...(व्यवधान)... BAC में आपने तय किया था कि दोनों बिल्स साथ लाए जाएँ। ...(व्यवधान)... इन पर आपने 3 घंटे का समय तय किया, उसके तहत बात हो रही है। ...(व्यवधान)... जो Business listed है, मैं उसके अलावा कुछ और नहीं ले सकता। ...(व्यवधान)... प्लीज़, ...(व्यवधान)... जो Business हाउस के सामने है, ...(व्यवधान)... प्लीज़। माननीय मंत्री जी, केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ...(व्यवधान)...

-

^{*} Discussed together.

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I also move:

"That the Bill to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha and as reported by the Select Committee of Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री उपसभापित : माननीय एलओपी, क्या आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं? ...(व्यवधान)... माननीय एलओपी साहब इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाहते हैं। माननीय एलओपी। कृपया सब लोग अपनी सीट पर वापस जाएँ। ...(व्यवधान)... प्लीज़, प्लीज़। First let the House function. ...(Interruptions)... Motions move हो गए हैं। प्लीज़, एक मिनट। ...(व्यवधान)... प्लीज़।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, नागालैंड पर उनका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय भूपेन्द्र जी, । will allow. ... (Interruptions)...

विपक्ष के नेता (श्री मिल्लकार्जुन खरगे): सर, इतनी बड़ी ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please go back to your seats. ... (Interruptions)... Please go back to your respective seats. ... (Interruptions)... I request these Members to allow the situation where we can speak. ... (Interruptions)... आप लोग मौका दीजिए, उनको बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)... प्लीज़, प्लीज़।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव) : सर, मेरा एक point of order है, पहले आप इसको ले लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मैं इसे बाद में लेता हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: मेरे बोलने से पहले आप point of order उठा रहे हैं। ...(व्यवधान)... मेरे बोलने से पहले ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय एलओपी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। ...(व्यवधान)... आप point of order सुनिए। ...(व्यवधान)...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, this is a very wrong precedent. ... (Interruptions)...

श्री उपसभापति : भूपेन्द्र जी, क्या यह इसी विषय से related है? ...(व्यवधान)...

श्री भूपेन्द्र यादव : सर, मुझे बोलने दें। ...(व्यवधान)... सर, यह बहुत important है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have allowed the LoP to speak. ... (Interruptions)...

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, Rule 237 is very clear. It says, "A Member desiring to make any observation on any matter before the Council shall speak from his place...". So, Sir, please ask Jairamji to speak from his place. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, please go back to your respective seats. ... (Interruptions)... Please go back to your seats. ... (Interruptions)... Please do not dictate the Chair. ... (Interruptions)... No; no. ... (Interruptions)... You cannot dictate the Chair. ... (Interruptions)... No; no. ... (Interruptions)... Please go back to your respective seats. ... (Interruptions)... Hon. LoP, please speak. ... (Interruptions)... Please go back to your seats. ... (Interruptions)... Hon. LoP, please speak. ... (Interruptions)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: मैं बात कर रहा हूँ, आप उनको देखिए। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He was on a point of order. ... (Interruptions)... He was on a point of order. ... (Interruptions)... Please go back to your seats. ... (Interruptions)...

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: सर, मैं आपसे विनती करता हूँ, इस सदन में जब आप Leader of the Opposition को बात करने के लिए खड़ा करते हैं, तो suddenly मिनिस्टर लोग उठ कर point of order उठाते हैं। आप सुनिए, मैं भी legally बात कर रहा हूँ, मैं रूल्स के मुताबिक ही बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनने के बाद अगर इसमें कोई गलती है, तो वे point of order उठा सकते हैं, लेकिन उसे छोड़ कर बीच में कोई भी उठते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ...(व्यवधान)... यह तो undemocratic है। सर, यह जो 12 सदस्यों का undemocratic suspension किया गया, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापित : माननीय एलओपी साहब, suspension पर मैं, ...(व्यवधान)... प्लीज, प्लीज, No; no, not allowed. माननीय सदस्यगण, as per Rules, जो Business हाउस के सामने है, उसी पर बहस हो सकती है, इसलिए माननीय एलओपी साहब, अगर आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं इज़ाज़त दूँगा। मैं माननीय मंत्री जी को बोल चुका हूँ, वे बिल्स move कर चुके हैं,

प्लीज़। इसके बारे में माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है कि Leader of the House और Leader of the Opposition मिल कर रास्ता निकालें। ...(व्यवधान)... प्लीज़, माननीय मंत्री जी। ...(व्यवधान)...

डा. मनसुख मांडवियाः माननीय उपसभापित महोदय, ART Bill और Surrogacy Bill, दोनों बिल्स को साथ में लेने के लिए किमटी ने recommendation दी थी।...(व्यवधान)... दोनों बिल्स एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़वां बिल हैं।...(व्यवधान)... लोक सभा में पारित होने के बाद अब यह बिल राज्य सभा में आया है और Surrogacy Bill already राज्य सभा में था।...(व्यवधान)...

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I am on a point of order. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: On this issue? ...(Interruptions)... On this issue? ...(Interruptions)... माननीय देरेक जी, हाउस के सामने जो बिज़नेस है, मैं उसी पर point of order सुनूंगा। ..(व्यवधान)... No, please. ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have the Rule Book. ... (Interruptions)... I will quote the rule. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please....(Interruptions)... Please....(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have the Rule Book. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please quote. ...(Interruptions)... Yes, please. ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Please don't' deprive me(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I am not depriving. ... (Interruptions)... Yes, please. ... (Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I am on a point of order...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

SHRI DEREK O'BRIEN: Because this is the red Rule Book. ... (Interruptions)...

श्री उपसभापति : आप Rule number बताएं।

SHRI DEREK O'BRIEN: The Page Number also, I am telling you. It is Page 90, Rule 256, 'Suspension of Member.' Twelve of our Members are suspended....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not the subject. ... (Interruptions)... This is not a 'point of order'. ... (Interruptions)... This is not a 'point of order'. ... (Interruptions)... माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।...(व्यवधान)...

डा. मनसुख मांडविया: माननीय उपसभापित महोदय, ये दोनों बिल्स, ART Bill और Surrogacy Bill, एक दूसरे के पूरक हैं।...(व्यवधान)... अगर Surrogacy करवाना है, तो ART से उसको पास होना होता है।...(व्यवधान)... जब राज्य सभा में Surrogacy Bill पर विस्तार से चर्चा हुई थी, तो उस चर्चा के दरिमयान यह decide हुआ था कि इसको Select Committee को सौंपा जाए।...(व्यवधान)... Select Committee ने बहुत विस्तार से इस पर ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 3.00 p.m.

The House then adjourned at seven minutes past two of the clock.

The House reassembled at three of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री, डा. मनसुख मांडविया। ...(व्यवधान).. Dr. Mandaviya, please continue. ...(Interruptions)... Please continue with your speech. ...(Interruptions)...

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, मैं सरकार की तरफ से एक चीज कहना चाहता हूं कि हम भी डिन में बिल पारित नहीं करना चाहते। मैं आपके थ्रू अभी भी आग्रह करता हूं, उन्हें माफी मांगने के लिए तैयार होने दीजिए। ...(व्यवधान).. जो कुछ भी हुआ है ...(व्यवधान).. वह सारे देश ने देखा है। वे लोग टेबल पर नाचे हैं, मार्शल को मारने के लिए गये हैं और उन्होंने टीवी स्क्रीन निकाल कर फेंकने की कोशिश की है।...(व्यवधान).. देश यह सब कुछ देख चुका है। मैं इतना ही आग्रह करता हूं कि हम भी डिन में बिल पारित नहीं करना चाहते हैं।...(व्यवधान).. अगर ये ऐसे ही व्यवहार करते रहेंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि उनको माफी मांगने दो, सरकार तुरंत...(व्यवधान)..

श्री उपसभापतिः माननीय हैल्थ मंत्री जी, सिर्फ आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी, माननीय हैल्थ मंत्री।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (डा0 मनसुख मांडविया): माननीय उपसभापति जी, आज दोनों महत्वपूर्ण बिल्स पर जो चर्चा प्रारम्भ हुई है, उनमें से एक एआरटी बिल है। एआरटी बिल मतलब ओवम और स्पर्म दोनों लेबोरेटरी में डेवलप करके एम्ब्रियो बनाकर महिला जो ...(व्यवधान)..

श्री उपसभापतिः मंत्री जी की बात के अलावा कोई अन्य बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, प्लीज़। ..(व्यवधान)..

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I am on a point of order. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Is your point of order on this? ...(Interruptions) Do you have a point of order on this issue? ...(Interruptions)...

डा0 मनसुख मांडिवयाः जिस सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, उसे एआरटी कहते हैं। ...(व्यवधान).. यह उसके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा सरोगेसी बिल है। सरोगेसी बिल यानी एक महिला, जो स्वयं मां नहीं बन सकती है, उसको फिज़िकली प्रॉब्लम है, ऐसी महिला अपने पित के स्पर्म का यूज़ करके एक सरोगेट ढूंढ़कर तीसरी महिला, थर्ड पार्टी ...(व्यवधान)..

श्री उपसभापतिः वैल में आने वाले माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि वे अपनी सीटों पर जाएं और सभा को चलने दें। वैल में आना और नारे लगाना राज्य सभा के रूल्स एंड प्रोसीजर के अनुरूप सही नहीं है। Please go back to your seats. ... (Interruptions)...

डा0 मनसुख मांडिवया: काफी डिस्कशन के बाद यह बिल हाउस में आया है। एआरटी बिल पहले लोक सभा में 4, सितम्बर, 2020 को आया था और उसके बाद यह स्टैंडिंग किमटी को भेजा गया था। स्टैंडिंग किमटी ने भी इसका बहुत विस्तार से विश्लेषण किया और रिकमंडेशंस दीं। ...(व्यवधान).. 26 रिकमंडेशंस हमने मान लीं। 4 अगस्त को कैबिनेट में जाने के बाद यह लोक सभा में आया और लास्ट में लोक सभा में एआरटी बिल पर बहुत विस्तार से डिस्कशन हुआ। हमें इसके संबंध में बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव भी मिले और उन सभी को देखते हुए लोक सभा ने इसे पारित किया। उसके बाद सरोगेसी बिल जो यहां ही पड़ा हुआ था, उस सरोगेसी बिल के लिए भी सेलेक्ट किमटी बनी थी। सेलेक्ट किमटी ने उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की और यह बहुत लम्बा प्रोसेस रहा।

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, point of order. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please go back to your seats. ... (Interruptions)...Just a minute, Mr. Minister. Let him speak. आप लोग अपनी सीट्स पर जाएं, अगर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर इस बिल से रिलेटेड होगा, तो मैं उसे सुनूंगा। ..(व्यवधान)..नियमतः प्वाइंट ऑफ ऑर्डर अगर इस बिल से रिलेटेड होगा तो मैं उसे सुनूंगा। First, it is not a privilege. Please go back to your seats. पहले माननीय मंत्री जी अपनी बात पूरी कर लें। Jha saab, I will come back to you. Hon. Minister, please. ... (Interruptions)... I would come back to you, Prof. Jha. Members, please go back to your seats. ... (Interruptions)...

डा. मनसुख मांडिवया: महोदय, सरोगेसी बिल पर इसी सदन में दो दिनों तक विस्तार से डिस्कशन हुआ था। यह बिल पुराना है और उस पर बहुत डिस्कशन हुआ है। 2016 में यह बिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में गया था, उसके बाद 2017 में यह बिल पार्लियामेन्टरी स्टैंडिंग कमिटी में गया, पार्लियामेन्टरी स्टैंडिंग कमिटी ने भी उसके ऊपर विस्तार से सुझाव दिये। 2018 में यह बिल अपूव हो गया था।..(व्यवधान).. 2018 में इस बिल को लोक सभा ने ऑलरेडी पारित कर दिया था। 2019 में वहां पर पारित होने के बाद यह राज्य सभा में आ गया। राज्य सभा में भी इस पर विस्तार से डिस्कशन हुआ था और डिस्कशन के बाद यह बिल सेलेक्ट कमिटी में गया। सेलेक्ट कमिटी ने भी इस पर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। वे सुझाव हम यहां लेकर आये हैं, उनमें से कई सुझाव हमने मान भी लिये हैं और उसके बाद सरोगेसी बिल को हम डिस्कशन में ले रहे हैं।...(व्यवधान)... मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि यह एक प्रोग्रेसिव डिसीज़न है। ...(व्यवधान)...

महोदय, यदि कोई और सदस्य इस पर अपने सुझाव देना चाहें तो वे अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें, अपनी बात रखें और बाद में इसे पारित करें।

The questions were proposed.

श्री उपसभापतिः मोशन मूब्ड।..(व्यवधान).. आप सब कृपया अपनी सीट्स पर जाएं।..(व्यवधान).. Please go back to your seats. ...(Interruptions)... जो भी सदस्य वैल में खड़े हैं, वे प्लीज़ अपनी-अपनी सीट्स पर जायें। ...(व्यवधान)... प्रो. मनोज कुमार झा point of order पर हैं। ...(व्यवधान)... प्लीज़। ...(व्यवधान)... जो माननीय सदस्य वैल में खड़े हैं, वे प्लीज़ अपनी सीट्स पर जायें। ...(व्यवधान)... आप लोग प्लीज़ अपनी सीट्स पर जायें। ...(व्यवधान)... प्लीज़, प्लीज़। ...(व्यवधान)... प्रो. मनोज कुमार झा, आप बोलिए।

प्रो. मनोज कुमार झा: माननीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा एक point of order है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपका point of order किस रूल के तहत है?

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, यह रूल 237 के तहत है। मैं उसी रूल का हवाला दे रहा हूँ, जिसका हवाला हमारे मित्र, मंत्री महोदय भूपेन्द्र जी ने दिया था। सर, उसमें आखिरी लाइन कहती है कि "Provided that a Member disabled by sickness or infirmity...." यहाँ तो पूरे के पूरे हाउस को sickness or infirmity ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please....(Interruptions)...

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, कमाल की बात है! ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Point of order is not a privilege. Number one, Mr. Jha, मैं आपका point of order सुन रहा हूँ, लेकिन point of order, as per the rule, should be related to the Bill. हाउस के सामने जो बिल्स हैं, इन पर आपका point of order नहीं है। Please do not raise any other point of order in the guise of ...(Interruptions)... This is my request to both sides. ...(Interruptions)... Tiruchi Sivaji ...(Interruptions)...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I agree with what you say. But before the Minister stood up, hon. Parliamentary Affairs Minister said that they do not want to pass the Bill in the din and hence we have to cooperate, provided that we all apologise. For the past three or four days, every Minister is levelling allegations against us. ...(Interruptions)... Moreover, this Government is responsible for ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not a point of order. ... (Interruptions)... The motion is moved. There is one Amendment by Shri John Brittas for reference of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2021, as passed by Lok Sabha, to a Select Committee of the Rajya Sabha. Hon. Member may move this Amendment at this stage without any speech. ... (Interruptions)... Shri John Brittas, are you moving the Amendment? He is not present; it is not moved. ... (Interruptions)...

The motions for consideration of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2021 and the Surrogacy (Regulation) Bill, 2020 are now open for discussion. ...(Interruptions)... Dr. Kanimozhi NVN Somu, please speak. ...(Interruptions)... Only your speech will go on record. ...(Interruptions)...

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, the House is not in order. ... (Interruptions)... Please revoke the suspension. ... (Interruptions)... The House is not in order. ... (Interruptions)... Please revoke the order and bring back those 12 Members. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak. ... (Interruptions)... Only your speech will go on record. ... (Interruptions)...

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: I request you to bring back the 12 Members. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am moving to the other Member. ... (Interruptions)...

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: Please listen to me. ... (Interruptions)... Revoke the suspension and bring back 12 Members inside. ... (Interruptions)... They have been outside for so long. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. ... (Interruptions)... I am moving to the other Member. ... (Interruptions)... Shrimati Mamata Mohanta. ... (Interruptions)... Please speak.

श्रीमती ममता मोहंता (ओडिशा): उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण "Assisted Reproductive Technology Bill" पर बोलने का मौका दिया है। ...(व्यवधान)...

मुझे खुशी है कि इस सदन में सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और भलाई के लिए अलग-अलग बिल्स ला रही है। ...(व्यवधान)... सरोगेसी (विनियमन) बिल, 2020 और चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) बिल, 2020 को मंजूरी देने के बाद अब यह अहम कदम उठाया गया है। ...(व्यवधान)... ओडिशा के माननीय मुख्य मंत्री श्रीयुत् नवीन पटनायक जी नारी-शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। ...(व्यवधान)... महिलाओं के सशक्तिकरण पर उठाये गये हरेक विषय पर हम पूरे मन से जुड़े हुए हैं। ...(व्यवधान)... महिला सशक्तिकरण हमारे बीजू जनता दल के मुख्य विषयों में से एक है। ...(व्यवधान)... आप सब जानते हैं। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Only Shrimati Mamata Mohanta's speech is going on record....(Interruptions)... Please...(Interruptions)...

श्रीमती ममता मोहंताः उपसभापित जी, यदि आपके नज़दीकी या घर की किसी औरत को बच्चा नहीं होता या वह औरत माँ नहीं बन पाती, तो उसे बहुत दुख होता है। ...(व्यवधान)... जो दंपित नैचुरल तरीके से conceive नहीं कर पाते हैं, वे अकसर ART की मदद से ऐसा करते हैं और ऐसे दंपितयों के लिए fertility kit बहुत प्रचलित है, जिससे उनको संतान प्राप्ति में मदद मिल सकती है। ...(व्यवधान)... पिछले कुछ वर्षों के दौरान सहायक प्रजनन तकनीक का चलन काफी तेजी से

बढ़ा है। The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2021 का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों का शोषण से संरक्षण करना है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Mamata Mohanta's speech only is...(Interruptions)... Go back to your seats, please....(Interruptions)...

श्रीमती ममता मोहंताः उपसभापति जी, यह बिल इन सेवाओं को नियमित करेगा और इस कानुन के बन जाने से बांझ दंपति एआरटी के तहत नैतिक तरीका अपनायेंगे और इससे लोगों में अधिक भरोसा पैदा होगा। ...(व्यवधान)... इस तकनीक ने कई महिलाओं के मन में नई उम्मीद जगाई है, लेकिन इससे जुड़े कई कानूनी, नैतिक एवं सामाजिक मुद्दे भी सामने आये हैं। ...(व्यवधान)... हालांकि भारत में ऐसी सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उनका मानकीकरण नहीं हुआ है। सरोगेसी एक ऐसी पद्धति है, जिसमें एक महिला दूसरी महिला के लिए गर्भधारण कर सकती है। इस उद्देश्य से जन्म के बाद उस बच्चे को उस महिला को दे दिया जायेगा। पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत सरोगेसी का केन्द्र बन गया है। ...(व्यवधान)... दुनिया भर से लोग सरोगेसी के लिए हमारे देश में आते हैं। सरोगेसी की आड़ में एक पूरा international racket फल-फूल रहा है, जिसे रोकना बहुत जरूरी था। ...(व्यवधान)... इस विधेयक की मदद से इस पर लगाम लगाई जा सकती है। इससे सरोगेट माँ का शोषण कम होगा और सरोगेसी को लेकर एक तरह की पारदर्शिता आयेगी, जो कि पहले नहीं थी। ...(व्यवधान)... विधेयक में स्पष्टतः लिखा है कि एक महिला अपने जीवन में एक बार ही सरोगेट माँ बन सकती है, जबकि पहले एक ही महिला के पाँच-पाँच बार सरोगेट माँ बनने के मामले सामने आते थे....(व्यवधान)... जो किसी भी महिला के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड था। यह विधेयक इस पर रोक लगायेगा। यह बिल महिलाओं के सम्मान एवं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं इस सदन के माध्यम से पुनः सरकार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि वे महिलाओं के हक के लिए बहुत मज़बूत बिल सदन में लेकर आये हैं, धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mamata Mohantaji. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Wednesday, the 8th December, 2021.

The House then adjourned at thirteen minutes past three of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 8th December, 2021.